भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1027

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**एनईईटी की परीक्षा देने के अवसरों की संख्या**

1027. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष की राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (एन॰ई॰ई॰टी॰) में शामिल होने वाले आवेदकों/छात्रों की न्यूनतम आयु तय करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस वर्ष से एन॰ई॰ई॰टी॰ परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की संख्या की गणना की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (ग): सरकार ने इस वर्ष राष्‍ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने वाले आवेदकों/विद्यार्थियों की न्‍यूनतम आयु को निर्धारित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। किसी भी अभ्‍यर्थी के लिए, नीट-यूजीसी परीक्षा में बैठने की अधिकतम सीमा एक समान रूप से 3 (तीन) होगी। एनईईटी–2017 में बैठना प्रथम प्रयास के रूप में गिना जाएगा।

**\*\*\*\*\***